संख्या-68/2020/2557/22-2-2019-17(130)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2020***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्यामलाल पुत्र श्री जलमा, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5/दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी श्यामलाल पुत्र श्री जलमा, निवासी-बचरौली, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है।बन्दी द्वारा जमीन के विवाद में दिनांक 10.10.1975 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी तथा दिनांक 08.06.1985 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी।। उक्त अपराधों हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-183ए/1975 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायाधीश, ए0एस0जे0, हमीरपुर के आदेश दिनांक 18.03.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.1985 द्वारा यथावत रखा गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-17/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302, 303/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 31.07.1990 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-183ए/1975 के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2018 तक 33 वर्ष 05 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 44 वर्ष 05 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा सत्र परीक्षण संख्या-17/1988 के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2018 तक 30 वर्ष 10 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 40 वर्ष 03 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा पुन: अपराध किये जाने की संभावना होने तथा पीड़ित परिवार के जान-माल का खतरा उत्पन्न होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं **जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त** समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी श्यामलाल (बन्दी संख्या-13117/1992) पुत्र श्री जलमा, निवासी जनपद-हमीरपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-68/2020/2557(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।